सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 19/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–20.01.2025

GCMS ID–2023/186

1. देवा आयु 68 वर्ष पिता श्री मोती जाति कुमावत निवासी मांगली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज०

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज०
2. खाना आयु व्यस्क पिता मोती जाति कुमावत निवासी मांगली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज०

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री शंभू दयाल शर्मा
अप्रार्थी :– परोकार सरकार

दिनांक :– 30/06/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता संख्या 81 ख.स. 242, 242/559, 771/224. 772/237, 774/237, 776/242, 777/705 कुल किता 7 कुल रकबा 1.8697 हैक्टेयर वाके ग्राम मांगली कला पटवार हल्का मांगली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज० मे स्थित है। जो प्रार्थी की खातेदारी मे दर्ज है। भूमि ख.स. 740/307 रकबा 0.0.809 हैक्टयेर वाके ग्राम मांगली कला में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में दर्ज है। भूमिकी जमाबन्दी सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी व प्रार्थी संख्या 2 के मध्य कब्जे को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है दोनो पक्ष अपनी अपनी भूमि पर काबिज चले आ रहे है प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि की पूर्व में कोई तरमीम नही हो रही थी। प्रार्थी की भूमि ख.स. 776/242 व अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि ख. स. 740/307 की मौके पर पाटिया बनी हुई है। अर्थात खेत उत्तर से दक्षिण की लम्बाई मे बने हुये है। और इसी अनुरूप मौके पर काबिज है। राज्य सरकार द्वारा सभी खातेदार व गैर खातेदारो की भूमियो की तरमीम करने हेतु डी.आर.एल.एम.पी योजना चालू की गई थी जिसके तहत प्रत्येंक खातेदारी की भूमि की तरमीम

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

निश्चित समय में की जानी थी लेकिन कार्य की अधिकता होने के कारण पटवारी कानूनगो द्वारा मौके का सत्यापन किये बिना दफ्तर मे बेठकर भूमि की तरमीम कर दी गई है जिससे तरमीम संबधी विवाद पैदा हुये है इसी क्रम में पटवारी कानूनगो द्वारा प्रार्थी की भूमि की तरमीम मौके का भौतिक सत्यापन किये बिना कब्जे के अनुसार लम्बाई मे नही करके चोडाई में कर दी गई है जो त्रुटिपूर्ण व अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की तरमीम लम्बाई में उत्तर से दक्षिण दिशा मे की जानी चाहिए थी। प्रार्थी की कृषि भूमि ख.स. 776242 पर तारफेसिंग करवानें से पूर्व भूमि का सीमाज्ञान करने हेतु दिनांक 15.05.2024 को पटवारी हल्का से निवेदन किया तब पटवारी हल्का ने मौके पर आकर अपने नक्शे के अनुसार मौका निरीक्षण किया तो पटवारी हल्का द्वारा बताया गया कि तुम्हारी तरमीम कब्जे के अनुसार नही हो रही है प्रार्थी की तरमीम चोडाई मे पूर्व से पश्चिम दिशा में कर दी गई है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 की तरमीमे उत्तर से दक्षिण लम्बाई में की जानी चाहिए। उक्त तरमीम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाये बिना भूमि का सीमाज्ञान किया जाना संभव नही है। प्रार्थी ने तहसीलदार हिण्डोली से दिनांक 15.11.2024 को भूमि ख.स. 776/242 व ख.स. 740/307 की तरमीम के गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना तरमीम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी राजस्व नक्शे मे प्रार्थी की भूमि ख.स. 776/242 की व अप्रार्थी की भूमि ख.स. 740/307 की हो रही गलत तरमीम के इन्द्राज को निरस्त करवाकर उक्त भूमि की तरमीम कब्जे के अनुसार उत्तर दक्षिण लम्बाई मे करवावे। श्रीमान को लेण्ड रिकोर्ड की हैसियत से तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त कर कब्जे के अनुसार तरमीम करने के आदेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। भूमि ग्राम मांगली कला तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे स्थित होने से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम मांगली कला के वर्तमान राजस्व नक्शे में भूमि ख.सं. 776/242 व भूमि ख0सं0 740/307 की हो रही तरमीम के गलत इन्द्राज को निरस्त फरमाया जाकर भूमि ख0सं0 776/242 व 740/307 की तरमीम प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे के अनुसार उत्तर से दक्षिण की लम्बाई में तरमीम करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई जवाब पेश नही करने से जवाब

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से मुताबिक जॉच रिपोर्ट के तरमीम दुरूस्त किया जाना अपेक्षित होना अंकित किया है।

प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :–राजस्व/25/1465 दिनांक 02.06.2025 अनुसार खाता संख्या 81 के खसरा संख्या 776/242 की भूमि प्रार्थी देवा के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा खाता संख्या 243 के खसरा संख्या 740/307 भूमि अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खातेदारी में दर्ज़ है। खसरा सख्या 776/242 की मौके के अनुसार कब्जा उत्तर से दक्षिण लम्बाई में परन्तु नक्शे लठ्ठे में तरमीम चौडाई में पूर्व से दक्षिण दिशा में है, जो गलत है। तरमीम उत्तर से दक्षिण किया जाना अपेक्षित है व खसरा संख्या 740/307 की मौके के अनुसार पूर्व से पश्चिक दिशा की ओर चौडाई लिए हुए है परन्तु नक्शे लठ्ठे में तरमीम उत्तर से दक्षिण की ओर है, जो गलत है, तरमीम पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर किया जाना अपेक्षित है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत "सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।"

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। जो कि प्रार्थना पत्र के अनुसार रही है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 776/242 जो प्रार्थी खातेदारी में दर्ज है व खसरा संख्या 740/307 जो कि अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी में है। कि तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार हिण्डोली के खसरा संख्या 776/242 की तरमीम कब्जे अनुसार नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे काश्त अनुसार प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शे अनुसार की जानी है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के तहत स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। खसरा संख्या 740/307 अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि होने से प्रार्थी को उस पर चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योंकि उनके द्वारा खसरा संख्या 738/307 जो कि खसरा संख्या 740/307 का पडौसी नम्बर है, के खातेदार को भी पक्षकार के रूप में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला दौसा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

संयोजित नहीं किया है और न ही अपने प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 738/307 का अंकन नहीं है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि **खाता संख्या 81** के खसरा संख्या 776/242 वाके ग्राम मांगलीकला पटवार मण्डल मांगलीकला की वर्तमान में राजस्व नक्शे में हुई तरमीम को निरस्त किया जाकर पुनः **खाता संख्या 81** के खसरा संख्या 776/242 की तरमीम प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे अनुसार व तहसीलदार हिण्डोली के प्रस्ताव अनुसार करने के आदेश दिये जाते है। प्रस्तावित नक्शा ट्रेस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :— 30.06.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/06/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446